राजस्थान सरकार

आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग

पत्रांकः एफ 4(2) आ.प्र. एवं स.आ./पेयजल/2009-10/ 17958-18047 जयपुर, दिनांक 31-7-2010

जिला कलेक्टर,
अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बाड़मेर, भीलवाड़ा,
बीकानेर, बून्दी, चित्तौड़गढ़, चूरू, दौसा, डूंगरपुर,
गंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर, जैसलमेर, जालौर,
झुन्झुनूं, जोधपुर, नागौर, पाली, राजसमन्द, सवाईमाधोपुर,
सीकर, सिरोही, टोंक, उदयपुर, प्रतापगढ़।

विषयः- अभाव संवत 2066 में अभावग्रस्त जिलों में संचालित आपातकालीन पेयजल व्यवस्था के सम्बन्ध में।

महोदय,

इस विभाग के पत्रांक एफ.4(2) आ.प्र.एवं सआ/पेयजल/2009-10/16626-737 दिनांक 13.07..2010 द्वारा अकाल प्रभावित क्षेत्रों में आपातकालीन पेयजल व्यवस्था की अवधि 31 जुलाई, 2010 तक बढ़ाने के दिशा निर्देश प्रदान किये गये थे।

चूंकि अब राज्य में अभाव अवधि को दिनांक 15.8.2010 तक बढ़ा दिया गया है। अतः पूर्व में जारी दिशा निर्देशों की निरन्तरता में अभावग्रस्त जिलों में संचालित आपातकालीन पेयजल आपूर्ति व्यवस्था की अवधि **15.8.2010** अथवा जिलों में वर्षा की स्थिति सामान्य होने तक, जो भी पहले हो, के लिए बढ़ाई जाती है।

जिला कलक्टर दैनिक समीक्षा कर यह सुनिश्चित करेंगे कि वर्षा अभाव के कारण उत्पन्न पेयजल संकट से ग्रस्त स्थानों पर ही पेयजल परिवहन किया जा रहा है। जिले में वर्षा की स्थिति सामान्य होते ही उक्त गतिविधि बन्द कर राज्य सरकार को रिपोर्ट प्रेषित करेंगे।

भवदीय,

31/7/10

शासन सचिव

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राज0, जयपुर।
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राज0, जयपुर।
3. विशिष्ठ सहायक, मन्त्री आपदा प्रबन्धन एवं सहायता, राज0, जयपुर
4. विशिष्ठ सहायक,संबंधित जिला प्रभारी मंत्री।
5. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राज0, जयपुर
6. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव (विकास) राज0, जयपुर
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, जन स्वा.अभि.विभाग, जयपुर।,
8. निजी सचिव, संबंधित जिला प्रभारी सचिव।
9. निजी सचिव, शासन सचिव, आ.प्र.एवं सहायता विभाग, जयपुर
10. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
11. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राज0 जयपुर।
12. मुख्य लेखाधिकारी, आ.प्र.एवं सहायता विभाग, जयपुर।
13. समस्त अधिकारीगण, आ.प्र. एवं सहायता विभाग, जयपुर।

शासन उप सचिव